

(1)

**Government of Chhattisgarh,  
Law and Legislative Affairs Department  
D.K.S. Bhawan, Mantralaya, Raipur Chhattisgarh**

**NOTIFICATION**

Raipur, dated 31.7.2010

F.No 9692 / D-1826 /XXI-B/C.G./10. In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, here by makes further amendment in department notification No. 5813/D-2084/XXI-B/C.G./2007 dated 9.7.2007 and order that Judge, Family Court, Manendregarh, District Koriya (Baikunthpur) shall hold sitting from 1<sup>st</sup> to 15<sup>th</sup> of every month at Menendregarh and from 16<sup>th</sup> till the end of the month at Baikunthpur.

**//अधिसूचना//**

**रायपुर दिनांक 31.7.2010**

फा. क. 9692 / डी-1826/21-ब/छ.ग./2010-राज्य सरकार, एतद्वारा, कुटुम्ब न्यायालय, अधिनियम 1984 (क.मांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, विभाग की पूर्व अधिसूचना क. 5813 / डी-2084 / 21-ब / छ.ग. / 2007 दि. 9.7.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित करता है कि कुटुम्ब न्यायालय,

मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) के न्यायाधीश, प्रति माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक मनेन्द्रगढ़ में, तथा, प्रतिमाह 16 तारीख से माह के अन्त तक बैकुण्ठपुर में न्यायालय की बैठक करेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

*31.7.2010*  
(आर.एस. शर्मा)

प्रमुख सचिव

छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क. 9693/डी-1826/21-ब/छ.ग./2010 रायपुर, दिनांक 31/07/2010  
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके ज्ञापन क्र. 4637/III-8-2/2001 दि. 15.7.2010 के संदर्भ में
2. न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर)
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला - कोरिया (बैकुण्ठपुर)
4. माननीय विधि मंत्री जी, के निज सचिव की ओर माननीय विधि मंत्री जी के अवलोकन हेतु,
5. प्रमुख सचिव, विधि के स्टाफ आफिसर की ओर प्रमुख सचिव विधि के अवलोकन हेतु,
6. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु,  
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

*31.7.2010*  
(आर.के. तिवारी)

अति. सचिव,

छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग